कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

शिविरा/प्रार/आरटीई/सी/18878/निःशुल्क प्रवेश एवं दिशा–निर्देश/2021–22 दिनांकः– 24/11/2021

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त जिले ।

विषयः– गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020–21 के ऑनलाईन शिक्षण सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020–21 में कोविड–19 गाइडलाइन की पालना में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण करवाया गया । इन सभी विधार्थियों का ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन कियें जाने हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जानी है–

1. गैर–सरकारी विद्यालयों द्वारा जिन छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण करवाया गया है उनके मोबाइल नंबर तथा ईमेल का अपडेशन विद्यालय द्वारा पोर्टल पर किया जा चुका है।
2. इन मोबाइल नंबर तथा ईमेल के माध्यम से ही जांच अधिकारी द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन का कार्य किया जाएगा।
3. इस कार्य हेतु अधिकतम तीन विद्यालयों में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जिनके द्वारा निम्न कार्य किया जाना है–
   I. जांच अधिकारी को नियुक्ति की सूचना शालादर्पण के स्टाफ लॉगिन पर प्राप्त होगी तथा संबंधित जिशिअ, प्रा/मा.(मु.) द्वारा भी दूरभाष पर /PEEO के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए सूचना दी जाएगी।

Cont...........

II. जांच अधिकारी के स्टाफ लॉगिन पर आंवटित विद्यालय सूची दिखाई देगी।

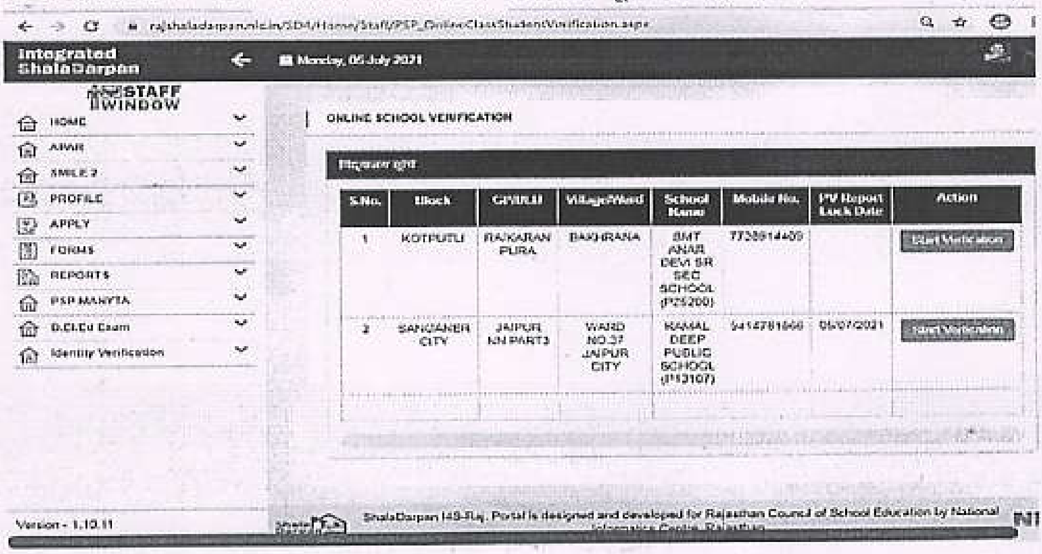

III. विद्यालय के लिये Start Verification पर क्लिक करने पर विद्यालय से संबंधित निम्न कक्षावार सूची प्रदर्शित होगी

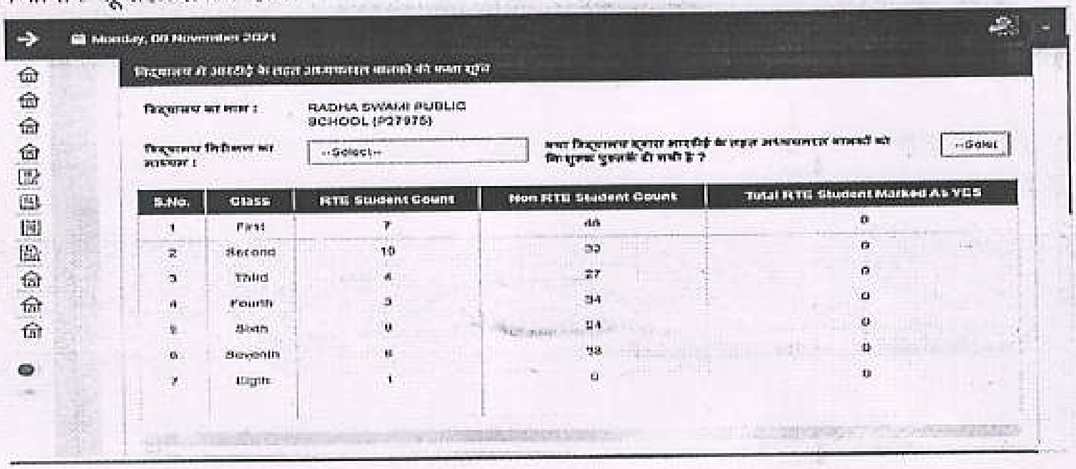

IV. किसी भी कक्षा पर क्लिक करने पर विद्यार्थीवार सूची प्रदर्शित होगी। इस सूची में आरटीई विद्यार्थियों के मोबाईल नम्बर प्रदर्शित होगें। जांच अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम कक्षा–1 में किन्ही भी अधिकतम पॉच आरटीई बालको से संपर्क स्थापित कर इस बात की पुष्टि की जाएगी कि बालक द्वारा ऑनलाइन अध्ययन किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से अथवा व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर आरटीई बालकों से संपर्क किया जायेगा। संतुष्ट/असंतुष्ट होने की स्थिति में जांच अधिकारी द्वारा YES/NO पर क्लिक किया जाएगा।

Cont.......

V. कक्षा–1 के बाद अगली कक्षा–2 के अधिकतम पॉच आरटीई छात्रों से संपर्क करते हुए उक्त प्रकिया अंतिम कक्षा–8 तक दोहराई जाएगी। किसी कक्षा में एक कक्षा की प्रविष्टि के पश्चात Go To Next Class पर क्लिक कर अगली कक्षा में प्रविष्टि की जा सकेगी।

VI. किसी कक्षा में आरटीई छात्रों की संख्या पॉच से कम होने पर उपलब्ध सभी बालको से संपर्क किया जायेगा।

VII. किसी बालक के फोन नहीं उठाने/स्विचऑफ आने पर अन्य बालक से संपर्क किया जाएगा।

4. सभी कक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात जांच अधिकारी द्वारा इस प्रपत्र को लॉक कर दिया जाएगा और इसका प्रिंट लिया जा सकेगा।

7	Fifth	6	32	3	
8	Sixth	3	30	4	

Verify/Lock   Go To School List

5. सूचना लॉक करने के पश्चात जांच अधिकारी सूचना सही होने के संबंध में शपथ पत्र Submit करेगें।
6. जांच अधिकारी द्वारा लॉक करने के पश्चात प्रपत्र की सूचना संबंधित जिशिअ प्रा/मा मुख्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। संबंधित जिशिअ, प्रा./मा.(मु.) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी जांच अधिकारियों द्वारा प्रपत्र मय शपथ पत्र Submit कर दिया गया है।

7. ऑनलाईन शिक्षण सत्यापन का टाइम फेम :–

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉ
1	ऑनलाईन शिक्षण सत्यापन दलों का गठन	28.11.2021 तक
2	विद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षण सत्यापन कार्य	29.11.2021 से 10.12.2021 तक
3	दल द्वारा ऑनलाईन सत्यापन रिपोर्ट को जिला कार्यालयों में जमा करवाना।	29.11.2021 से 13.12.2021 तक
4	जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना निदेशालय को प्रेषित करना। (परिशिष्ट–अ संलग्न है।)	17.12.2021 तक

24.11.21

(काना राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Cont.........

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीः—

01. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कल शिक्षा परिषद, जयपुर।
02. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।

(चन्द्र किरण पंवार)
उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर